न्यायालय श्री जगजीत सिंह मोंगा, R.A.S. अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 03 / 2015(जीसीएमएस संख्या : 2015 / 00063)

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

गोरया पुत्र श्री रूघनाथ, जाति–जाट, निवासी–कोथून, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर। (मृतक)

1 / 1 गंगा देवी पत्नी स्व0 श्री गोरू, निवासी–कोथून, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

1 / 2 रामकृष्ण पुत्र स्व0 श्री गोरू, निवासी–नैनवा का रास्ता, धर्मशाला के पास, सरकारी दवाखाने के पीछे, ग्राम–कोथून, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

1 / 3 प्रभूलाल पुत्र स्व0 श्री गोरू, निवासी– नैनवा का रास्ता, धर्मशाला के पास, सरकारी दवाखाने के पीछे, ग्राम–कोथून, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

1 / 4 मीठालाल पुत्र स्व0 श्री गोरू, निवासी– नैनवा का रास्ता, धर्मशाला के पास, सरकारी दवाखाने के पीछे, ग्राम–कोथून, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

1 / 5 सीता पुत्री स्व0 श्री गोरू पत्नी श्री रामेश्वरलाल, निवासी–ग्राम निमोडिया, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थितिः–

1. प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थीगण असालतन / वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय **दिनांक : 11.02.2021**

तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम कोथून की आराजी खसरा नम्बर 17 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा सिवायचक किस्म जमीन गैर–मुमकीन नाली दर्ज है, जिसके भूमि एकीकरण सम्वत् 2019 में खसरा नं0 8, 10, 14 परिवर्तित होकर नये बने है जिसके हाल ख0 नं0 67 रकबा 0.1100 हे0 अप्रार्थी गोरया की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 अनुसार दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में दर्ज गैर मुमकीन नाली आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की

धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकीन नाली दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर सुनवाई कर निर्णय दिनांक 28.12.2007 द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने की राय से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने उनके निर्णय दिनांक 15.07.205 द्वारा आंशिक स्वीकार वापिस प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये कि अप्रार्थी गोरया उर्फ गौरू के विधिक वारिसान को नियमानुसार रिकार्ड पर लिऐ जाने के पश्चात उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर रेफरेंस प्रकरण में आगामी विधि सम्मत आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करे। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्देशों की पालना में कायमी मुकामान को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये किन्तु बावजूद नियमानुसार तामील कायमी मुकामान हाजिर नहीं आये अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस सुनी गई। विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम कोथून की आराजी खसरा नम्बर 17 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा सिवायचक किस्म जमीन गैर–मुमकीन नाली दर्ज है, जिसके भूमि एकीकरण सम्वत् 2019 में खसरा नं0 8, 10, 14 परिवर्तित होकर नये बने है जिसके हाल ख0 नं0 67 रकबा 0.1100 है0 अप्रार्थी गोरया की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 अनुसार दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में दर्ज गैर–मुमकीन नाली आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 में यह आराजी गैर–मुमकीन नाली दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नाली भूमि की निजी खातेदारी दर्ज राजस्व अभिलेख है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में गैर–मुमकिन नाली की आराजी को विभिन्न आदेशों द्वारा खातेदारी दर्ज किये जाने के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं है। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र

स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने राजकीय अभिभाषक की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004—2023 में ग्राम कोथून की आराजी खसरा नम्बर 17 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा सिवायचक किस्म जमीन गैर—मुमकीन नाली दर्ज है, जिसके भूमि एकीकरण सम्वत् 2019 में खसरा नं0 8, 10, 14 परिवर्तित होकर नये बने है जिसके हाल ख0 नं0 67 रकबा 0.1100 हैं0 अप्रार्थी गोरया की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2061—2064 अनुसार दर्ज है। भू—प्रबन्ध सम्वत् 2004—2023 में दर्ज गैर—मुमकीन नाली आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस राजकीय अभिभाषक ने विवादग्रस्त आराजी को राजस्व अभिलेख में गैर—मुमकीन नाली दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2004—2023 से होती है और इस आराजी की निजी खातेदारी में दर्ज होने की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी 2061—2064 से होती है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2061—2064 में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार सिवायचक गैर—मुमकीन नाली की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर—मुमकीन नाली भूमि की खातेदारी दर्ज राजस्व अभिलेख है, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वत: ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर—मुमकीन नाली भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि आंवन्टी तथा आंवन्टी के पश्चात् अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, चाकसू द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेखों में दर्ज खातेदारी/आवंटन के इन्द्राजातों की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त

कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक गैर–मुमकीन नाली दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 24.03.2021 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 11.02.2021 को सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(जगजीत सिंह मोंगा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)